

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
"स्वास्थ्य भवन" तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर.

क्रमांक: एफ 4(3)/आरसीएच/एफडब्ल्यू/एमएनजीओ/09/2342

दिनांक: 18/6/19

विज्ञप्ति

जिला प्रतापगढ़ एवं बाड़मेर के लिए मदर एन.जी.ओ. हेतु आवेदन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मदर एन.जी.ओ./संस्थान के चयन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो एन.जी.ओ. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखता हो तथा जिसकी जिले में उपस्थिति अनिवार्य हो, ऐसा एन.जी.ओ. ही मदर एनजीओ के लिए आवेदन के लिए योग्य होगा।

मदर एन.जी.ओ की पात्रता हेतु मापदण्ड

- आवेदक एन.जी.ओ./संस्थान भारतीय सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम/भारतीय न्यास अधिनियम/भारतीय चेरिटेबल और धार्मिक न्यास अधिनियम/कंपनी अधिनियम अथवा संबद्ध राज्य में पांच वर्ष से अधिक समय से संगत राज्य अधिनियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत हो।
- एन.जी.ओ के नाम से भूमि अथवा भवन के रूप में कम से कम 2.00 लाख रुपये की स्थाई सम्पत्ति हो। यह सम्पत्ति संगठन के अधतन तुलना पत्र (बैलेंस शीट) के लेखों में परिलक्षित होनी चाहिए।
- संस्था के पास कार्यालय परिसर, उस जिले में ही होना चाहिए जहां यह कार्य करने का इच्छुक हो।
- परिवार कल्याण/प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं, देने तथा प्रशिक्षण से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन का 3 वर्ष का अच्छा अनुभव है।
- प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए संस्था में कार्यरत चिकित्सक, विशेषज्ञ, काउन्सलर्स तथा अन्य कर्मियों की सूची मय योग्यता की पूर्ण जानकारी आवेदन के साथ दी जाए।
- वह एन.जी.ओ. जो राज्य सरकार/भारत सरकार के किसी मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा, (कापार्ट सी.एस.डब्ल्यू.बी. द्वारा) जिन्हे काली सूची में डाला गया है वे आवेदन के लिए पात्र नहीं है।


कवरेज क्षेत्र

- एम.एन.जी.ओ. का कार्यक्षेत्र जिले के असेवित अथवा अल्पसेवित क्षेत्र जिनकी कुल आबादी 40 से 50 लाख होगा।
- चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले एम.एन.जी.ओ के लिए न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र सी.एच.सी. के समतुल्य होगा।
- एक जिले में केवल एक एम.एन.जी.ओ. का चयन किया जाएगा।

परियोजना अवधि

- प्रत्येक एम.एन.जी.ओ के लिए आरम्भ में तीन वर्ष की परियोजना अवधि होगी। परन्तु प्रत्येक वर्ष के अंत में मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग कि वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in या www.nrhmrajasthan.nic.in या कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

इच्छुक एन.जी.ओ. निर्धारित प्रपत्र में अपने आवेदन की दो प्रतियां इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख से दो सप्ताह के अंदर परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, के नाम केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजें। आवेदन पत्र के साथ 100 रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट हेल्थ सोसायटी पेबल जयपुर के नाम से भेजें।


परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर.

मदर एन.जी.ओ. स्कीम हेतु आवेदन प्रपत्र

- (1) जिस जिले के लिए आवेदन किया गया है उसका नाम (कृपया केवल एक जिले का ही उल्लेख करें)
- (2) संस्था से संबंधित जानकारी
 - संस्था का नाम
 - पता मय पिन कोड
 - फोन तथा फैक्स नं (एसटीडी कोड सहित), ई-मेल
 - मुख्य कार्यकारी का नाम और पदनाम
 - संस्था के दूसरे अधिकारियों के नाम उनके फोन नं. तथा पते
 - संस्था के पंजीकरण की जानकारी
 - एफ.सी.आर.ए.नं. (यदि उपलब्ध है)
 - बैंक से संबंधित विवरण (खाता सं., बैंक का नाम और पता)
 - स्थिर सम्पत्ति (भूमि और भवन) लेख परीक्षित तुलन पत्र (Audited Balance Sheet) के अनुसार
 - पूर्णकालिक और अंशकालिक स्टाफ की संख्या तथा सूची (मय योग्यता)
 - क्या पूर्व में संस्था के कार्यों का किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया गया है? यदि हां तो कृपया रिपोर्ट संलग्न करें।
 - क्या किसी सरकारी विभाग/मंत्रालय ने संस्था को कभी काली सूची में डाला है?

(3) परियोजना से संबंधित जानकारी

- गत पांच वर्षों के दौरान संस्था द्वारा प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य तथा समाजिक क्षेत्रों सहित स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये गये कार्य

वर्ष	परियोजना का नाम	उद्देश्य तथा प्रमुख रणनीतियां	भौगोलिक क्षेत्र और लाभार्थी	निधियों का स्रोत	निधियों की राशि

- परियोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित जिला/ब्लॉक के स्थितिगत विश्लेषण (प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य के विस्तृत संदर्भ में जानकारी)
- उपरोक्त आधार पर संस्था द्वारा उक्त समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी प्रस्तावित व्यूहरचना एवं संसाधनों का विवरण

आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न करें

(प्रस्ताव की दो प्रतियां और निम्नलिखित संलग्नक प्रस्तुत करें)

- पंजीकरण प्रमाण पत्र
- संगठन के उप नियम और धोषणा पत्र
- गत पांच वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट
- गत पांच वर्षों के लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण
- कार्यकारी सदस्यों की सूची, संपर्क करने का पता तथा कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं इसका विवरण
- संस्था के पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध साधन सुविधाओं की जानकारी
- संस्था/संगठन में कार्य करने वाले चिकित्सीय और गैर-चिकित्सीय कर्मियों के बारे में उनके पद, योग्यता और अनुभव सहित पूर्ण जानकारी।